न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2291–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–07–2014 पारित द्वारा तहसीलदार शिवपुरी जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 21/2013–14/अ–70 निग0.

दीपक गर्ग पुत्र स्व0 श्री घनश्याम गर्ग,
निवासी –जैन मंदिर के सामने, नीचला बाजार,
शिवपुरी द्वारा मुख्त्यारनामा दिनेश राठौर पुत्र श्री रामकिशन
राठौर, निवासी -- गांधी कॉलोनी, शिवपुरी
जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री धर्मवीर शर्मा,
शिवपुरी पब्लिक स्कूल के सामने,
जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनावेदक

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ अभिभाषक -- आवेदक ।
श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक – अनावेदक ।

:: आदेश ::
(दिनांक 23/12/2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 21/2013–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 22–07–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक मनोज कुमार ने ग्राम फतेहपुर पटवारी हल्का नं 63 तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 179/5 रकबा 0.805 हेक्टर पर सीमांकन पश्चात दीपक गर्ग एवं भागीरथ का अवैध कब्जा होने से उक्त भूमि का आधिपत्य दिलाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की। दिनांक 22–7–14 को तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में मनोज के साक्ष्य लिये जाने के पश्चात अनावेदक के साक्ष्य हेतु निर्धारित किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध दीपक गर्ग द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा अपने भूमि का एकपक्षीय सीमांकन किया। आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सीमांकन के पश्चात दो वर्ष तक अनावेदक द्वारा धारा 250 की कार्यवाही नहीं की। आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व से ही भवन बना था। दो वर्ष के पश्चात अनावेदक द्वारा धारा 250 के कार्यवाही की है जो विधि के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही धारा 250 की कार्यवाही अवैध एवं अनुचित है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का अवलोकन नहीं किया कि सीमांकन रिपोर्ट में अवैध कब्जा संबंधी कोई तथ्य अंकित नहीं है तब ऐसी स्थिति में अनाधिकृत कब्जा मानने के आधार पर 250 की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की थी तथा आवेदक के पक्ष में नामांतरण एवं टीनशेड एवं कमरा निर्मित कराते समय अनावेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की थी। अब इतनी लम्बी अवधि के पश्चात धारा 250 की कार्यवाही विधि एवं नियमों के विपरीत हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही निरस्त की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदक 189/5 का भूमिस्वामी है जब उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया तब ज्ञात हुआ कि 30X30 पर आवेदक ने टीनशेड एवं निर्माण कर लिया है तथा एक अन्य व्यक्ति भागीरथ ने 50X50 पर कब्जा कर लिया है। इसी आधार पर अनावेदक ने तहसील न्यायालय में धारा 250 की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया जिसपर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रांरभ हुई है। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय में दिनांक 22–7–14 को अनावेदक के साक्ष्य होने के पश्चात आवेदक (अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक) के साक्ष्य हेतु प्रकरण निर्धारित किया है। अतः निगरानी का कोई औचित्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में उभय पक्ष के अतिरिक्त भागीरथ बराई भी अनावेदक के रूप में आवश्यक पक्षकार है तथा आवेदक द्वारा भागीरथ को इस न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाने से पक्षकार का असंयोजन का दोष है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक मनोज ने पूर्व में सीमांकन आदेश दिनांक 28–5–14 की प्रति के साथ प्रतिवेदन एवं पंचानामा की छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 की कार्यवाही के समय संलग्न किये गये हैं अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि अनावेदक द्वारा कोई दस्तावेज सीमांकन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22–7–14 का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अनावेदक मनोज का साक्ष्य लिये जाने के पश्चात आवेदक के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में ऐसी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है जो अवैधानिकता दर्शाती हो। अभी आवेदक को प्रकरण में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है जहां वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जहां तक प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जे होने अथवा न होने के प्रश्न है इसका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में होना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण प्रकट नहीं होता है, अतः निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 21/13–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 22–7–14 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर